रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 1991/वैशाख 2, 1913
No. 157] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 1991/VAISAKHA 2, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1991

सा.का.नि. 228(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पोर्ट (पाइलटों को प्राधिकार) संशोधन (द्वितीय) विनियम, 1991 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी.आर./12016/6/91-पी.ई.-1]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

कांडला पोर्ट ट्रस्ट

संख्या:

अनुसूची

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. ये विनियम कांडला पोर्ट (पाइलटों को प्राधिकार) संशोधन (द्वितीय) विनियम, 1991 कहे जायेंगे।

2. (1) विनियम 4 के विद्यमान उप विनियम (1) और (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

(1) "सभी पाइलटों के पास कांडला पोर्ट में पाइलट कार्य करने संबंधी अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। ये अनुज्ञप्तियां, केन्द्रीय सरकार की संस्वीकृति के अधीन रहते हुए सीमित पाइलट कार्य अथवा पूर्ण पाइलट कार्य के लिए जारी की जाएंगी और ये बोर्ड द्वारा प्रतिसंहरणीय होंगी।"

(2) "कोई भी पाइलट अथवा ऐसा व्यक्ति, जिसे सीमित पाइलट कार्य हेतु अनुज्ञप्ति दी गई हो और जो बोर्ड से अपना संबंध विच्छेद करते हुए दूसरे अभिकरणों के लिए कार्य करता है तो उसे बोर्ड को अपनी अनुज्ञप्ति तत्काल वापस सुपुर्द करनी होगी।"

(2) विनियम 5 का विद्यमान उप विनियम (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(ख) "कि परिवीक्षाधीन पाइलट के रूप में नियुक्ति की तारीख को उसकी आयु न तो 24 वर्ष से कम होगी और न ही 35 वर्ष से अधिक होगी सिवाय इसके कि जब तक बोर्ड द्वारा उसमें अन्यथा छूट न दी गई हो। तथापि, जो उम्मीदवार दूसरे अभिकरणों के लिए कार्य कर रहे हों और जिनको सीमित पाइलट कार्य संबंधी अनुज्ञप्ति देने के लिए बोर्ड विचार कर रहा हो, उन पर यह लागू नहीं होगा।"

(3) निम्नलिखित को विनियम 5 के उप विनियम (ग), (घ) तथा (ङ) के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा।

(ग) "दूसरे अभिकरणों के साथ काम करने वाला ऐसा व्यक्ति जो उक्त (क) और विनियम 6 के उप विनियम (क) तथा (ख) की पूर्ति करने के अधीन रहते हुए कांडला में सीमित पाइलट कार्य करने हेतु इच्छुक हो, वह संगठन के माध्यम से बोर्ड को एक ऐसा आवेदन दे सकता है जिसमें यह अनुरोध किया गया हो कि उसे अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जाए और उस उचित प्रशिक्षण के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए।"

(घ) "दूसरे अभिकरणों के साथ कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास कांडला पोर्ट के लिए सीमित पाइलट कार्य संबंधी अनुज्ञप्ति भी हो, वह जब पाइलट कार्य के लिए जहाज पर चढ़ता है अथवा जेटी छोड़ता है तो उस समय से लेकर पाइलट कार्य परिचालन की समाप्ति के बाद जेटी पर उसके वापस लौटने तक उसे कांडला पोर्ट ट्रस्ट का कर्मचारी माना जाएगा।"

(ङ) "कि उसके पास नीचे दर्शाए गए विनियम 6 में वर्णित अर्हताएं हैं।"

(4) निम्नलिखित को विनियम 6 के उप विनियम 1(घ) के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा।

1.(घ) "कांडला में सीमित पाइलट कार्य के लिए अनुज्ञप्ति संबंधी उम्मीदवार को उक्त (क) तथा (ख) के अधीन अपेक्षाओं का पालन करना होगा और सिवाय इसके कि जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाए उसे कम से कम एक माह की प्रशिक्षण अवधि तक अथवा जब तक वह पाइलट कार्य के कम से कम 30 कार्य संपन्न नहीं कर लेता, जिसमें सारणी को पार करना भी शामिल है, इनमें से जो भी बाद में हो, सेवा करनी होगी। इस प्रशिक्षण की समाप्ति पर, अगर हार्बर मास्टर उसकी सिफारिश करें तो उप संरक्षक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए प्रशिक्षणार्थी चाहे तो सीमित पाइलट कार्य संबंधी अनुज्ञप्ति के लिए वह अपनी परीक्षा लिए जाने हेतु आवेदन कर सकता है।"

पाद टिप्पण:—(1) दिनांक 29-2-1964 के सा.का.नि. संख्या 306 के अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदित मुख्य विनियम।

(2) दिनांक 6-9-1990 के सा.का.नि. संख्या 759 (ई) द्वारा संशोधित।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 22nd April, 1991

NOTIFICATION

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port (Authorisation of Pilots) Amendment (Second) Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[PR-12016/6/91-PE-I]

ASHOKE JOSHI, J. Secy.

KANDLA PORT TRUST

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustee of the Port of Kandla hereby make the following Regulations, namely :—

1. **These Regulations may be called the Kandla Port (Authorisation of Pilots) Amendment (Second) Regulations, 1990.**

2. (1) The existing sub-regulations (1) and (2) of Regulation 4 shall be substituted as under :—

(1) "All Pilots shall hold licences to perform the duties of a Pilot for the Port of Kandla. These licences for restricted pilotage or full pilotage subject to the sanction of

the Cenral Govt. shall be issued and be revocable by the Board."

(2) A pilot or person working with other agencies licenced for restricted Pilotage severing his connection with the board shall forthwih deliver his licence to the Board."

(2) The existing sub-Regulation (b) of Regulation 5 shall be substituted as under :—

(b) "That on the date of appointment as a Probationer Pilot he is of an age not below 24 and not exceeding 35 years unless otherwise relaxed by the Board. This will not, however, apply to candidates working with other agencies to be considered by the Board for restricted Pilotage licence."

(3) The following shall be inserted as sub-Regulation (e), (d) & (e) of Regulation 5.

(c) "A person working with other agencies, subject to fulfilling (a) above and sub-regulations (a) and (b) of Regulation 6 and desirous of carrying out restricted Pilotage at Kandla shall apply to the Board through Association requesting that he may be given requisite training and be granted licence after due training"

(d) "A person working with other agencies holding a Restricted Pilotage Licence for Kandla Port, shall be deemed to be an employee of Kandla Port Trust from the time he boards the ship or leaves the jetty for pilotage work, till his return at the jetty after completion of pilotage operation."

(e) That he possesses the qualifications detailed in regulation 6 below."

3(6) The following shall be inserted as sub-regulation (d) of Regulation 6.

1(d) "A candidate for Restricted Pilotage license at Kandla shall comply with the requirements under (a) and (b) above and unless the Board otherwise determines, serve a period of training of not less than one month or till such time he attends a minimum of 30 acts of pilotage, involving crossing the channel whichever is later. On completion of the training, the trainee may if recommended by Harbour Master and subject to the approval of Deputy Conservator, apply to be examined for grant of restricd Pilotage Licence.

Footnote :(1) Principal Regulation approved by the Government vidt G.S.R. No 306 dated 29-02-1964.

(2) Amended vide G.S.R. No. 759E dated 6-9-1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1991